न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

पीठासीन अधिकारी–पवन कुमार (आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–01/2020

राजविन्द्र कौर उम्र 12 वर्ष पुत्री कुलदीप सिंह– नाबालिग जरिऐ कुदरतीवली माता सर्वजीत कौर पत्नी कुलदीप सिंह जाति जटसिख उम्र 32 वर्ष निवासी 18 ए (ए) तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर(राज.)

–––वादीया

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(राजस्व), अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर

––––प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88 राज.काश्त.अधिनियम

::निर्णय:: **दिनांक–12.01.2021**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीया ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि कृषि भूमि वाके चक 18 ए–ए का प..नं. 305/445 मु.नं. 22 का किला नम्बर 6ता9, 12ता14, 16, 20ता25 की कुल 2.744 हैक्टर वादीया एवं वादीया की माता व भाई एवं बलविन्द्रसिंह पुत्र जरनैलसिंह के नाम से संयुक्त रूप से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसमें वादीया का 1/6 हिस्सा दर्ज है। जमाबंदी की प्रमाणित प्रति संलग्न है। उक्त कृषि भूमि वादीया के पिता कुलदीप सिंह के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। वादीया के पिता कुलदीप सिंह का देहान्त हो चुका है। जिसके देहान्त उपरांत उक्त कृषि भूमि वादीया व अन्य विधिक वारिसान को विरासतन अधिकार पर प्राप्त होकर जरिये विरासतन इंतकाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई थी। जिसमें वादीया का 1/6 हिस्सा है। जो निरन्तर वादीया के अधिकार एवं अधिपत्य में चली आ रही है। वादीया सह–खातेदार कृषक है। वादीया नाबालिग है। जिसके हितार्थ व अधिकारों की प्राप्ति के लिए यह वाद पत्र जरिये कुदरतीवली माता सर्वजीत कौर पत्नी कुलदीप सिंह की ओर से पेश किया जा रहा है। वाद मित्र नाबालिग की ओर से वाद पेश करने मे समक्ष है तथा वाद मित्र का हित नाबालिग के हित के विरूद्ध नहीं है। वादीया का सही व वास्तविक नाम राजविन्द्र कौर पुत्री कुलदीप सिंह है। लेकिन उसका घरेलू नाम राजवीर होने के कारण वादीया को दोनों नामो राजविन्द्र कौर व राजवीर के नाम से जानते व पुकारते थे। वादीया परिवार जो ग्रामीण परिवेश का था वादीया की माता भी ग्रामीण परिवेश की महिला थी व वादीया स्वयं नाबालिग है। वादीया के पिता के देहान्त के बाद वादीया परिवार के सदस्य द्वारा वारिस प्रमाण पत्र जारी करवाते समय वादीया का नाम राजवीर कौर दर्ज करवाकर राजवीरकौर के नाम से वारिस प्रमाण पत्र जारी करवाया। तत्पश्चात उक्त वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर वादीया के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में विरासतन इंतकाल राजवीर कौर के नाम से ही दर्ज हुआ जो की एक सद्भाविक एवं मानवीय भूल है। वादीया नाबालिग है तथा वादीया की माता जो ग्रामीण परिवेश की महिला है, को पूर्व में उक्त त्रुटि [illegible] ज्ञान नहीं था। अब वादीया उक्त कृषि भूमि पर ऋण की पत्रावली तैयार करवाने के संबंध में [illegible] दिन पूर्व पटवारी हल्का से मिली तो उन्होंने रिकॉर्ड देखकर बताया कि वादीया का नाम [illegible] राजविन्द्र कौर दर्ज नही बल्कि वादीया का नाम राजवीरकौर दर्ज है। जिस पर वादीया की माता ने पटवारी हल्का को बताया कि वादीया का सही नाम राजविन्द्र कौर है और घर पर उसे राजवीर बुलाते है तो पटवारी हल्का द्वारा उक्त त्रुटि को दुरूस्त करवाने के लिए माननीय न्यायालय में चाराजोई करने के लिए कहा जिस पर वादीया तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ के समक्ष उपस्थित हुई तो उन्होंने कहा कि सक्षम

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.03.25 12:38:23 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय में चाराजोई करे बस यही बिनाय मुखासमत वाद पत्र है। वादीया के राजस्व रिकॉर्ड एवं अन्य दस्तोवजात में नाम अलग–अलग होने के कारण वादीया को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्योकि राजस्व रिकॉर्ड में वादीया का नाम गलत रूप से राजवीरकौर दर्ज है और अन्य आवश्यक समस्त दस्तोवजात में वादीया का नाम राजविन्द्र कौर दर्ज है। जिससे वादीया भविष्य में अपने हिस्सा की कृषि भूमि के संबंध में बैंक इत्यादि से लोन आदि लेने में वादीया को काफी दिक्कत एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए भी जमाबंदी में सहवन से गलत दर्ज हुये नाम को दुरूस्त किया जाकर सही नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है ताकि भविष्य में वादीया को दो अलग–अलग नाम दर्ज होने के कारण किसी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े और वादीया अपने सही व वास्तविक नाम राजविन्द्र कौर पुत्री कुलदीप सिंह से ही अपनी उक्त कृषि भूमि का उपयोग, उपभोग कर सके इसलिए वादीया माननीय न्यायालय से घोषणा करवाने की विधिक अधिकारी एवं दावेदार है।

पत्रावली में संलग्न तहसीलदार रिपोर्ट, तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं मनन किया गया। जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 चक 18 ए–ए का प.नं. 305/445 मु.नं. 22 का 2.744 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड रकबा बलविन्द्रसिंह पुत्र जरनैलसिंह 1/2 हिस्सा जाति जटसिख सा. प्रेमनगर अनूपगढ़ खातेदार, नाबालिग युवराजसिंह पुत्र कुलदीपसिंह संरक्षक माता सर्वजीत कौर हिस्सा 1/6 जाति जटसिख साकिन प्रेमनगर अनूपगढ़, नाबालिग राजवीरकौर पुत्री कुलदीपसिंह संरक्षक माता सर्वजीत कौर हिस्सा 1/6 जाति जटसिख सा. प्रेमनगर अनूपगढ़ दर्ज रिकॉर्ड है। वादीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में राजवीरकौर दर्ज है जो राजवीरकौर के स्थान पर राजविन्द्रकौर करवाना चाहती है नाम दुरूस्त किया जाना उचित है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि वादीया का जन्म प्रमाण पत्र क्रमांक 08099003000000700792/2014 दिनांक 30.10.2014 में नाम राजविन्द्रकौर अंकित है व प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन शिक्षा विभाग राजस्थान ग्रेडिंग युक्त प्रमाण पत्र में भी नाम राजविन्द्रकौर अंकित है तथा आधार कार्ड नं. 660868231385 में नाम राजविन्द्रकौर अंकित है। वादीया का वाद पत्र बाबत् दुरूस्ती राजवीर कौर के स्थान पर राजविन्द्रकौर स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर न्यायहित में वादीया का नाम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

अतः वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार अनूपगढ़ को आदेशित किया जाता है कि चक 18 ए–ए का प..नं. 305/445 मु.नं. 22 का किला नम्बर 6ता9, 12ता14, 16, 20ता25 की कुल 2.744 हैक्टर कृषि भूमि की राजस्व रिकॉर्ड में वादीया के घरेलु नाम राजवीर कौर के स्थान पर वादीया का सही व वास्तविक नाम राजविन्द्र कौर का अंकन किया जावें। प्रतिवादी तहसीलदार अनूपगढ को उक्त आदेश को राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करने हेतु तहरीर अलग से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12/01/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.03.25 12:38:23 IST
Reason: SelfAttested

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ